1	2	3	4	5
Ghaziabad—(*Contd.*)	Hapur—(*Contd.*)	Achocheja—(*Contd.*)	217	0.436
			219 M	0.076
			220	0.038
			221	0.430
			222	0.190
			224	0.890
			227	0.278
			229 M	0.461
			232	2.218
			233	0.580
			236	1.115
			237	0.453
			239	2.591
			241	0.413
			242	0.767
			244	0.762
			245	0.206
			246	0.052
			249	0.061
			250	0.095
			251	0.015
			252	0.025
			254	0.167
			255	0.553
			273	0.063
			274	0.054
			275	1.419
			277	0.038
			278 M	0.036
			279	0.493
			280	0.101
			283	1.945
			284	0.051
			285	0.946

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्रेशन नं० एल० डब्लू० /एन० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 21 अगस्त, 1999

श्रावण 30, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–3

संख्या 1023/9-आ-3—99-156 एल0 ए0-97

लखनऊ, 21 अगस्त, 1999

अधिसूचना

प० आ0—466

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा ग्राम अच्छेजा, परगना व तहसील हापुड़, जिला–गाजियाबाद में क्षेत्रीय नियोजित विकास योजना के लिये आवश्यकता है।

2—चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम अच्छेजा, परगना हापुड़ तहसील हापुड़, जिला–गाजियाबाद में क्षेत्रीय नियोजित विकास योजना के लिये अत्याधिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाये, अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

Scanned by CamScanner